

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों
के प्रचार—प्रसार व प्रदर्श
सामग्रीयों के मुद्रण तथा
निर्माण कार्य हेतु ई—निविदा
प्रपत्र
वर्ष 2024—2025



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAAB0221D1ZW



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

सांची दूध एवं दूध उत्पादों के प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण एवं निमार्ण कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

- | | |
|--|---|
| 1 निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक 13.09.2024 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से |
| 2 ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 27.09.2024 समय 02:00 बजे तक |
| 3 तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान | दिनांक 30.09.2024 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, भोपाल दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में |
| 4 निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना (ई.एम.डी.) राशि | रु. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से |
| 5 "आवश्यक अर्हताएँ" का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 6 नियम एवं शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 7 "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |
| 8 प्रचार-प्रसार हेतु निविदा प्रपत्र | प्रपत्र 04 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।



आवश्यक अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
 भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में सांची दूध एवं दूध उत्पादों के प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण एवं निर्माण कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी		निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/ज्वाइंट वेंचर/कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व)

	निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 01, 02 एवं 03 संलग्न करें।		कंपनी निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 01,02 एवं 03 संलग्न करें।
1.4	निविदाकार (फर्म/ कम्पनी/ पार्टनरशिप/ ज्वाइंट वेंचर/ कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी को किसी भी शासकीय /अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने/मा. न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित हो।		तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। निविदा के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है।
1.5	निविदाकार (फर्म/ कम्पनी/ पार्टनरशिप/ ज्वाइंट वेंचर/ कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी को न्यूनतम प्रचार-प्रसार व प्रदर्श समग्रियों के मुद्रण एवं निमार्ण कार्य व 3D Animation Graphics कार्य में 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		तदाशय का शासकीय/प्राइवेट कम्पनी का 05 वर्षों में कार्य आदेशों की छायाप्रतियां अथवा प्रतियां अथवा अनुबंध पत्र की छायाप्रतियां एवं उक्त की प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 06 पर संलग्न है।
1.6	निविदाकर्ता (फर्म/ कम्पनी/ पार्टनरशिप/ ज्वाइंट वेंचर/ कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.100000/- (एक लाख रुपये) की रसीद संलग्न करें।
1.7	वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-202,2022-23 एवं 2023-24 इत्यादि वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे 5 करोड़ का टर्न ओव्हर होना अनिवार्य है।		तदाशय की सीए द्वारा सत्यापित अंकेक्षित प्रॉफिट एंड लॉस की स्वप्रमाणित कर छायाप्रति संलग्न करें।
1.8	निविदाकर्ता को (फर्म/कम्पनी/ पार्टनरशिप/ ज्वाइंट वेंचर/ कंन्सोर्टियम/एकल स्वामित्व) कंपनी का जीएसटी नंबर होना चाहिए		तदाशय के जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर—

नाम—

पता—

.....

.....

मो.नं.—:

प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण तथा निर्माण कार्य हेतु निविदा की आवश्यक

नियम एवं शर्त :-

1. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है। जिसे केवल पात्र निविदाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः प्रतिभागी निविदाकार अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
2. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृती उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रु.1000000/- (रु. दस लाख मात्र) नगद जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा डीडी अथवा आर.टी.जी.एस के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृती उपरांत ईएमडी राशि, प्रतिभूति राशि में समायोजित होगी। दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक माह में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
4. **चयन प्रक्रिया-**
 - 4.1 निविदाकारों के निविदा की तकनीकी अर्हताएं ई-निविदा के नियमों के अनुसार सफल पाए जाने के पश्चात् सफल निविदाकारों की वित्तीय बिड खोली जाएगी।
 - 4.2 एक से अधिक निविदाकारों की दरें एक समान पाए जाने की स्थिति में चयन कम्प्यूटर रैंडमाइजेशन के द्वारा लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
5. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में निविदाकार की ई.एम.डी राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को दर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
7. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास निहित होगा।
8. निविदा स्वीकृति के उपरांत सफल निविदाकार की अनुबंध अवधि एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदाकार का कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि अधिकतम छः माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
9. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
10. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।

11. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
 12. निविदाकार यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छाट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
 13. पात्र निविदाकार को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में दुग्ध संघ का निर्णय अंतिम होगा।
 14. अनुबंध अवधि में निविदा की स्वीकृत दरों पर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई दरों पर भुगतान देय नहीं होगा।
 15. प्रतिभागी निविदाकार दरें बाजार में प्रचलित वाजिब मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने समस्त व्ययों एवं कर को समाहित करते ऑनलाइन प्रस्तुत करें। ऑनलाइन दरें खोले जाने की उपरांत दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
 16. निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकारों के अन्य कारण स्वीकार नहीं होंगे।
 17. सफल निविदाकार को प्रचार-प्रसार सामग्रीयों का डिस्प्ले गंतव्य स्थान पर स्वयं की व्यवस्था से ले जाकर करना होगा। इस हेतु पृथक से दुग्ध संघ द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
 18. सफल निविदाकार को प्रचार-प्रसार सामग्रीयों की आपूर्ति उच्च गुणवत्तायुक्त तय मापदंडों पर करनी होगी। आपूर्ति के समय सामग्रीयों की गुणवत्ता तय मानकों पर नहीं पाए जाने की स्थिति में निविदाकार का दायित्व होगा कि वह पुनः मांग अनुसार सामग्रीयों की आपूर्ति तय समय में मापदंडों के अनुसार करें। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 21.1 सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि में समय-समय पर प्रचार-प्रचार सामग्रीयों के निर्माण एवं डिस्प्ले हेतु मांग दी जाएगी। जिसे उसे दुग्ध संघ द्वारा दिए गए नियत समय में उच्च गुणवत्तायुक्त एवं तय मापदंडों पर आपूर्ति करानी होगी। नियत तिथि पर आपूर्ति न होने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

सफल निविदाकार द्वारा उक्त अवधि के पश्चात् भी आपूर्ति नहीं की जाने की दशा में निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

19. सफल निविदाकार को प्रचार-प्रचार सामग्रीयों की आपूर्ति दुग्ध संघ के स्टोर शाखा में मिलान कर उसकी पावती प्राप्त करनी होगी एवं पावती की एक प्रति विपणन शाखा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
20. सफल निविदाकार को देयकों का भुगतान समय-समय पर किए गए कार्यों के सत्यापन होने के पश्चात् किया जाएगा।

21. प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्रीयां प्रतिष्ठित कंपनीयों के ISI मानक स्तर के ही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो सफल निविदाकार का यह दायित्व होगा कि वह पुनः सामग्रीयों का निर्माण करे अन्यथा दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा।
22. सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते पाए जाते हैं तो दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा। जो कि सफल निविदाकार पर बंधनकारी होगा।
23. प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के निर्माण हेतु सूची प्रपत्र क्र.03 पर संलग्न है जिसे निविदाकार को केवल ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा।
24. सामग्रीयों के टूट-फूट होने तथा गुणवत्ताहीन होने पर सफल निविदाकार को पुनः सामग्रीयों का निर्माण करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौती सफल निविदाकार के देयकों से किया जाएगा।
25. निविदा प्रकाशित होने के पश्चात् यदि किसी भी प्रतिभागी निविदाकार को निविदा संबंधी कोई आपत्ति होती है तो ऐसे प्रतिभागी निविदाकार निविदा सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में अपनी आपत्तियों को दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा की तकनीकी अर्हताएं खुलने एवं वित्तीय बिड खुलने के पश्चात् किसी भी प्रतिभागी निविदाकार की कोई भी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसे प्रतिभागी निविदाकार को मान्य करना होगा।
26. सफल निविदाकार को प्रचार-प्रसार सामग्री के निर्माण कार्य हेतु सामग्री की मात्रा का विवरण के अनुसार कार्य पूर्ण कर देना होगा। अनुबंध अवधि में सामग्री की मात्रा बढ़ाने अथवा घटाने के अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
27. निविदा में दर्शाए गए सामग्रीयों की संख्या आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार दुग्ध संघ प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा। जो कि सफल निविदाकार पर बंधनकारी होगा।

मेरे/हमारे द्वारा सांची प्रचार-प्रसार सामग्री के निर्माण कार्य हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पता



प्रपत्र क्र.03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	आईटम विवरण	Size	Required quantity for Rural Area approx
1	बैनर फ्लेक्स प्रिंटिंग- स्टार ब्रांडेड (साल्वेंट) आईलिट सहित	दरें प्रति वर्ग फुट 2x4	5000 नग
2	बैनर फोम मुद्रण-HDPE 700 फोमशीट आईलीट सहित	दरें प्रति वर्गफुट 2x4	5000 नग
3	स्टार फ्लेक्स होर्डिंग्स सहित फोम मुद्रण	दरें प्रति वर्गफुट 10x12	10000 वर्गफीट
4	बहुवर्णीय पेम्प्लेट्स/फोल्डेड ब्रोशर्स बिना फोल्ड- आर्ट ग्लेण्ड पेपर पर बहुवर्णीय मुद्रण A-4 आकार में (Both Side)	-----	-----
4.1	A-4 80 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	50000 नग
4.2	A-4 90 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
4.3	A-4 110 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
5	बहुवर्णीय पेम्प्लेट्स/फोल्डेड ब्रोशर्स दो फोल्ड- आर्ट ग्लेण्ड पेपर पर बहुवर्णीय मुद्रण A-4 आकार में (Both Side)	-----	-----
5.1	A-4 80 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	50000 नग
5.2	A-4 90 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
5.3	A-4 110 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
6	बहुवर्णीय पेम्प्लेट्स/फोल्डेड ब्रोशर्स तीन फोल्ड- आर्ट ग्लेण्ड पेपर पर बहुवर्णीय मुद्रण A-4 आकार में (Both Side)	-----	-----
6.1	A-4 80 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	50000 नग
6.2	A-4 90 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
6.3	A-4 110 GSM (22X28cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
7	बहुवर्णीय पेम्प्लेट्स/फोल्डेड ब्रोशर्स तीन/चार फोल्ड- आर्ट ग्लेण्ड पेपर पर बहुवर्णीय मुद्रण A-4 आकार में (Both Side),	-----	-----
7.1	A-3 80 GSM (21X44cm+,-)	प्रति नग	50000 नग
7.2	A-3 90 GSM (21X44cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
7.3	A-3 110 GSM (21X44cm+,-)	प्रति नग	25000 नग
8	डेंगलर्स- डाई कटिंग,कार्ड शीट पर बहुवर्णीय आकारों में	प्रति नग	-----
8.1	250 GSM,30X45cm कार्ड पेपर, आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
8.2	250 GSM,30X30cm कार्ड पेपर, आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग

8.3	250 GSM,20X30cm कार्ड पेपर, आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	50000 नग
9	डेंगलर्स— डाई कटिंग,कार्ड शीट पर बहुरंगीय आकारों में	प्रति नग	-----
9.1	250 GSM,30X45cm एक्रिलिक ग्लास आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
9.2	250 GSM,30X30cm एक्रिलिक ग्लास आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
9.3	250 GSM,20X30cm एक्रिलिक ग्लास आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	50000 नग
10	डेंगलर्स— डाई कटिंग,कार्ड शीट पर बहुरंगीय आकारों में	प्रति नग	-----
10.1	300 GSM,30X45cm कार्ड पेपर, आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
10.2	300 GSM,30X30cm कार्ड पेपर, आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
10.3	300 GSM,20X30cm कार्ड पेपर, आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	50000 नग
11	डेंगलर्स— डाई कटिंग,कार्ड शीट पर बहुरंगीय आकारों में	प्रति नग	-----
11.1	300 GSM,30X45cm एक्रिलिक ग्लास आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
11.2	300 GSM,30X30cm एक्रिलिक ग्लास आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	25000 नग
11.3	300 GSM,20X30cm एक्रिलिक ग्लास आईलीट व हेंगिंग डोर सहित	प्रति नग	50000 नग
12	फोल्डेड एल्यू स्टेण्डी डिस्प्ले— एल्यूमीनियम फ्रेम स्टॉर प्लेक्स	6'x3' प्रति नग	1000 नग
13	Pole Lollipop Backlit Flex	4x4	500 नग
14	Bus Shelters Two way Vinyl without Solvent	270 वर्ग फीट	10000 वर्ग फीट
15	One way vision	6x6 वर्ग फीट	5000 वर्ग फीट
16	POSTERS	A-3	5000 नग
17	3D ANIMATION GRAPHICS		
17.1	3D Modelling and Animation	10 sec	
17.2	Texturing & lighting	10 sec	
17.3	Compositing	10 sec	
17.4	Rendering	10 sec	

नोट:— निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.04

प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण व निर्माण कार्य निविदा प्रपत्र

स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस (अनिवार्य रूप से अंकित करें)
6. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
.....
7. (अ) पेन नम्बर
(ब) GST NO.....
(स) आधार कार्ड नम्बर.....
8. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर

मेरे/हमारे द्वारा सांची प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के निर्माण कार्य हेतु कार्य निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे/हमारे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। निविदा प्रपत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र."5"

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए)

(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु..... निवासी यह कि मेरे/हमारे द्वारा सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के निर्माण कार्य हेतु दिनांक को समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में तदाशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नहीं है।

नाम—

हस्ताक्षर —

1. गवाह

नाम:—

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:—

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
 (मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
 GSTIN - 23AAAB0221D1ZW



भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
 BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
 FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र."6"

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए)
 (केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम..... आत्मज..... आयु..... निवासी..... यह कि मुझे/हमे प्रचार-प्रसार व प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण व निर्माण कार्य तथा 3 D ANIMATION GRAPHICS (AD) में कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव है। एवं मेरे/हमारे द्वारा तदाशय के प्रमाणिकता हेतु कार्य आदेश के प्रतियां ई-निविदा में संलग्न की गई है। जो कि मेरे/हमारे ज्ञान के आधार पर पूर्णतया सही है। यदि अनुबंध अवधि में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य आदेशों की कभी भी, किसी भी कारण से प्रति गलत पाई जाती है तो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं मैं/हम इस हेतु अपनी सहमती देते हैं कि मुझे/हमें विरुद्ध भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा की गई कार्यवाही हेतु कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

नाम—

हस्ताक्षर —

3. गवाह

नाम:—

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

4. गवाह

नाम:—

पता:—

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के मुद्रण एवं निर्माण कार्य हेतु

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक..... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व ठेकेदार कार्य संपादित करेंगे :-

द्वितीय पक्ष द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल के भोपाल शहर के बाहर प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के निर्माण करने तथा डिस्प्ले के वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मापदंडों पर ई-निविदा में निविदा प्रस्तुत की गई है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा की स्वीकृत दरों पर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को 30 दिवस की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को 30 दिवस का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. द्वितीय पक्ष को भोपाल शहर में उच्च गुणवत्ता युक्त प्रदर्श सामग्रीयों का मुद्रण व निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
3. प्रदर्श सामग्रीयों की शेल्फ लाइफ न्यूनतम एक वर्ष की होनी चाहिए तथा सामग्रीयों के प्रदर्श (DISPLAY) होने के उपरांत न्यूनतम 06 माह की अवधि तक किसी भी प्रकार की टूट-फूट व सामग्रीयां खराब नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष को पुनः सामग्रीयों का निर्माण कर प्रदर्श करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
4. भोपाल शहर में द्वितीय पक्ष का स्वयं का नेटवर्क होना चाहिए एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्रीयों के डिस्प्ले किए जाने हेतु जैसे बस शेल्टर्स, होर्डिंग्स, लॉलीपॉप एवं अन्य के लिए द्वितीय पक्ष को स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर कार्य को पूरा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष, भोपाल शहर में स्वयं के स्तर से सामग्रीयों को निर्धारित स्थान पर पहुंचा कर डिस्प्ले करेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से कर्मचारी संलग्न नहीं किया जाएगा व किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा अनुबंध अवधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार सामग्रीयों के निर्माण कार्य हेतु लिखित आदेश प्रदत्त किए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष इसे दिए गए तय समयावधि में निर्मित कर दुग्ध संघ के स्टोर शाखा में सामग्रीयों की प्रविष्टि कराएंगे तथा इसकी एक प्रति विपणन शाखा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके उपरांत गंतव्य स्थल पर निविदाकर्ता को सामग्रीयों को पहुंचाकर समय पर कार्य को पूरा करना होगा।
7. प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के निर्माण हेतु समय-समय पर सामग्रीयों की संख्या का निर्धारण प्रथम पक्ष द्वारा किया जाएगा। जिसे द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में आपूर्ति कर देना होगा। ऐसा नहीं करते पाए जाने अथवा विलंब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

- द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त अवधि के पश्चात् भी आपूर्ति नहीं की जाने की दशा में निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
8. द्वितीय पक्ष तथा उसके स्टॉफ प्रथम पक्ष के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से अभ्रदता एवं अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि में जांच के पश्चात् ऐसा करते पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
 9. समय-समय पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध उत्पाद के आर्टवर्क/डिजाईन अनुबंध अवधि में त्यौहारों व अन्य अवसरों पर द्वितीय पक्ष को तैयार कर देना होगा। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
 10. प्रचार-प्रसार सामग्रीयों में यदि कोई टूट-फूट अथवा गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर नहीं पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह पुनः उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीयों का निर्माण कर दुग्ध संघ में जमा करें अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने पर जितनी हानि प्रथम पक्ष को होगी उसकी गणना कर द्वितीय पक्ष के देयकों से कटौती कर लिया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
 11. प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के निर्माण एवं निर्धारित स्थलों पर डिस्प्ले के पश्चात् द्वितीय पक्ष को डिस्प्ले किए गए सामग्रीयों का एलबम तैयार कर दुग्ध संघ में जमा करना होगा एवं डिस्प्ले किए गए सामग्रीयों का वेरिफिकेशन दुग्ध संघ से कराने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
 12. द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान प्रतिमाह के 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। विलंब से भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जबाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
 13. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक से तक (कुल एक वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा प्रचार-प्रसार सामग्रीयों के एवं मुद्रण एवं निर्माणकर्ता का कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि अधिकतम 6 माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
 14. अनुबंध अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित सामग्रीयों के देयकों का भुगतान केवल निविदा की स्वीकृत दरों पर ही किया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
 15. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 16. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।

17. यह कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में द्वितीय पक्ष के अटेंडेन्ट डिस्प्ले सामग्रीयों को उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से अंदर व बाहर जाने दिया जावेगा।
18. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
19. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। देयको के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
20. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
21. द्वितीय पक्ष, फर्म/कंपनी होने पर अनुबंध अवधि में उसे प्रोपेराइटर में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा अन्यथा ऐसा करते पाए जाने पर निविदा निरस्त कर द्वितीय की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
22. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
23. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
24. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
25. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में किसी अनियमितता की जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु 10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
26. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचनामे व साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
27. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 "प्रचार-प्रचार सामग्रीयों के मुद्रण व निर्माण कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त" में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।

28. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर नियमों के तहत निविदा हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
30. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
31. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर के न्यायालय में होवेगा तथा यह अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की आपसी सहमति के तहत दिनांक को निष्पादित किया गया है।

मैं पिता/पति/पत्नी..... ठेकेदार अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

ठेकेदार के हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....

 1. गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:—.....

 2. गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता:—.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
 भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.